



2026:AHC:128901

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21426 सन् 2026

माखन लाल गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	अच्युत जी, अशोक कुमार सिंह
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अच्युत जी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रतन लाल को सुना गया और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का भी परिशीलन किया गया।
2. यह तात्कालिक जमानत आवेदन आवेदक-माखन लाल गुप्ता की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 009 सन् 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66-डी, थाना-साइबर अपराध देवरिया, जनपद देवरिया में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत इस आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आवेदक लेक्सीरूप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का निदेशक है, जो वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत है; तथापि, आवेदक ने निदेशक के रूप में कपटपूर्ण साधनों से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की शर्तों का उल्लंघन किया, एक म्यूल खाता

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



खोला और इस संबंध में धनराशि अन्यत्र अंतरित कर दी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक एक निदेशक है और उसके घटनास्थल अथवा देश से भागने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आगे निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने से पूर्व, दिनांक 02/04/2026 को, आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। यह भी तर्क दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3), जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 एवं 41-ए के समतुल्य है, में निहित उपबंधों का वस्तुतः अनुपालन नहीं हुआ। इस हेतु **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एवं एक अन्य; 2026 आई.एन.एस.सी. 15** के निर्णय पर भरोसा किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 03/04/2026 से कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त सोनू जायसवाल, जो फरार था, ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 11535 सन् 2026 प्रस्तुत करके इस न्यायालय की शरण ली थी, जिसमें दिनांक 18/06/2026 को संरक्षण का आदेश अभिलिखित किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर आगे निवेदन किया कि आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित पुलिस थाने के समक्ष उपस्थित होगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक ने अपराध कारित किया है और संज्ञेय अपराध बनते हैं। तथापि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास की व्याख्या कर दी है और अपराध 7 वर्ष अथवा 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय हैं।

5. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, *प्रथमदृष्टया* जमानत प्रदान किए जाने का आधार बनता है, विशेषकर इसलिए कि आपराधिक इतिहास की व्याख्या कर दी गई है और आवेदक दिनांक 03/04/2026 से कारागार में है।

6. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वाद के अंतिम गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-माखन लाल गुप्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अन्वेषण अथवा विचारण के दौरान साक्षी को धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक कोई स्थगन मांगे बिना अन्वेषण/विचारण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा अथवा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित पुलिस थाने के समक्ष उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर प्रदान की जा रही जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति तथा निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत आदेश की किसी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में अथवा आवेदक द्वारा साक्षी को धमकाने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास किए जाने की दशा में, प्रथम सूचनाकर्ता को प्रासंगिक सामग्री से समर्थित जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी और ऐसा आवेदन प्रस्तुत होने पर उसे प्राथमिकता के आधार पर सुना जा सकता है।

24 जून, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"